# कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2374 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांकः 30.11.13

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली( हाजीपुर)

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः– **श्री अजय कुमार सिंह, जिला सदस्य, परिषद् क्षे0 सं0–12 ग्राम+पो0– महथी धर्मचन्द्र,प्रखण्ड– पातेपुर के परिवाद/ शिकायत पत्र से संबंधित जांच प्रतिवेदन।**

प्रसंगः– **पत्रांक 1960/ अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक 10.10.2013**

महाशय,

उपरोक्त विषयक से संबधित परिवाद/ शिकायत–पत्र मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी / शिकायत के संबंध में प्राप्त हुआ था। प्रासंगिक पत्रानुसार योजना स्थल की जांच मेरे द्वारा स्वयं की गयी है। स्थल जांच के समय काफी संख्या (लगभग दो सौ) में ग्रामीणों की भीड़ जमा होने के कारण जांच कार्य में काफी कठिनाई हुई है।काफी व्यवधान का सामना करना पड़ा है। स्थल जांच करने के पश्चात् प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रतिवेदित है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

30.11.13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक /अभिकरण, दिनांक

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

30.11.13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

# कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
## लोकपाल, मनरेगा
## जिला– वैशाली

| दिनांक | वाद संख्या–38/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 30.11.13 | यह शिकायत, श्री अजय कुमार सिंह, सदस्य जिला, परिषद्, क्षेत्र सं0 12, ग्राम+पो0– महंथी धर्मचन्द्र, प्रखण्ड– पातेपुर ,जिला– वैशाली के दिनांक 10.10. 2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।<br>पातेपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत महंथी धर्मचन्द्र में मनरेगा योजना अन्तर्गत विगत सात वर्षो में कराये गये विकास योजनाओं में काफी अनियमितता होने के कारण तथा योजना को धरातल पर नही होने के कारण सरकारी राशि का भारी मात्राा में दुरूपयोग किया गया है।<br>शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि मेरे उपस्थिति में इस पंचायत के योजनाओं की जांच करायी जाये।<br>शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया।<br>अतएव दिनांक 18.11.2013 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत महंथी धर्मचन्द्र के मुखिया, श्री प्रदीप राम, पंचायत रोजगार सेवक (नवपदस्थापित) श्री ओमप्रकाश, पंचायत रोजगार सेवक, श्री संजीव कुमार एवं शिकायतकर्त्ता, श्री अजय कुमार सिंह तथा सैंकड़ो ग्रामीण भी उपस्थित थे।<br>मेरे स्थल निरिक्षण में वर्ष 2011–12 की योजनाओं की जांच की गयी। वृक्षारोपण की योजना सं0 01/11–12, 02/11–12, 03/11–12, 04/11–12, 17/11–12, 19/11–12, 21/11–12, 22/11–12, 34/11–12 तथा मिट्टी भराई एवं ईंट सोंलिंग से संबंधित योजना सं0 47/11–12 का स्थल निरिक्षण किया गया।<br>मेरे स्थल निरिक्षण में पाया गया कि योजना सं0 47/11–12 में ईंट सोंलिंग का कार्य किया गया है।<br>वृक्षारोपण की योजनाओं की जांच की गयी। योजनाओं में पौधें की सं0 | |

लगभग नहीं के बराबर थी। योजना सं0 01/11–12, 02/11–12, 03/11–12, 04/11–12, 17/11–12, 19/11–12, 21/11–12, 22/11–12 तथा 34/11–12 से संबंधित कार्य स्थलों पर चार–पॉच की संख्या में जीवित पौधे पाये गये। पंचायत रोजगार सेवक का उक्त पंचायत में पदस्थापन पिछले कुछ ही दिनों पूर्व में हुआ था। अतः वे कुछ बता नहीं पाये। मुखिया ग्राम पंचायत –महथीधर्मचन्द्र ने बताया कि अधिकांश वृक्षारोपण के कार्य स्थल खुले स्थान अर्थात् चौड़ आदि किनारे अवस्थित है जिस कारण जानवारों द्वारा पौधों को नष्ट कर दिया गया है। इन्होनें बताया कि पौधे पुनः लगवा दिये जा सकते है। इन्हें बताया कि उनका यह कार्य अवैधानिक है।

पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया गया कि योजनॉए से संबंधित अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करें।

पंचायत रोजगार सेवक द्वारा योजनाओं का अभिलेख प्रस्तुत किया गया। स्थल भ्रमण एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनार्थ पाया गया कि योजना सं0 47/11–12 में ईंट सोंलिंग का कार्य प्राक्कलन से निर्धारित दूरी तक किया गया है। वृक्षारोपण की योजनाओं में जीवित पौधों की संख्या लगभग नहीं के बराबर थी। अभिलेख में वनपोषकों का भुगतान पिछले वर्ष नवम्बर 2012 तक ही किया गया है। योजनाएँ अभी खुली हुई है परन्तु मृत प्रायः पौधों की जगह नये पौधे नहीं लगाये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि योजना को पूर्ण कार्यान्वित करने में कोई अभिरूचि नही है। इच्छा शक्ति का अभाव झलकता है। अन्य कारणों में से एक, संभवतः पिछले दो–ढाई सालों में चार पंचायत रोजगार सेवकों की स्थानान्तरण एवं पदस्थापन भी हो सकती है। वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता बरती गयी है। वृक्षारोपण की योजनाओं में खर्च की गयी राशि की वसूली की जा सकती है।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।